[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 51/2024-सीमाशुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा. का. नि. ..... (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (7) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों को सीमाशुल्क टैरिफ (सहायताप्राप्त वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति अवधारण) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क टैरिफ (सहायिकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"**23क**. **मूल रूप से अन्वेषित नहीं किए गए निर्यातकों के लिए सहायकी अंतर** - (1) यदि कोई उत्पाद प्रतिशुल्क के अध्यधीन है, अभिहीत प्राधिकारी प्रश्नगत निर्यातक देश में जिसने अन्वेषण की अवधि के दौरान भारत में उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक के लिए व्यष्टि सहायकी अंतर के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा परन्तु ये निर्यातकर्ता या उत्पादक यह दर्शित करते हों कि वे ऐसे निर्यातकर्ता देश, जो उस उत्पाद पर प्रति शुल्क के अध्यधीन हो, से किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान ऐसे निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों से आयातों पर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रति शुल्क उदग्रहित नहीं करेगी :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार अनन्तिम निर्धारण का पुनःसमाधान कर सकेगी और किसी आयातकर्ता से गारंटी मांग सकेगी, यदि अभिहीत प्राधिकारी इस प्रकार सिफारिश करे, और यदि ऐसे पुनर्विलोकन का परिणाम ऐसे उत्पादकों या निर्यातकर्ताओं के संबंध में सहायिकी का अवधारण हो, पुनर्विलोकन के आरम्भ की तारीख से भूतलक्षी रूप से ऐसे मामले में शुल्क उदग्रहण कर सकेगी ।

(3) को-आपरेटिव गैर नमूने वाले निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के लिए पहले ही अधिरोपित प्रति शुल्क का विस्तार ऐसे निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों के लिए किया जा सकता है जो मूल रूप से अन्वेषित नहीं किए गए थे ।"।

[फा. सं. 334/03/2024- टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा अधिसूचना सं.1/1995-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 के अनुसार प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 760(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2021 द्वारा अधिसूचना संख्यांक 83/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 27 अक्तूबर, 2021 के अनुसार अंतिम बार संशोधित की गई ।